संख्या-293/2020/1350/41-2020-29(यो0)/16

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020**

विषयः- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की योजनाओं- जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के अन्तर्गत दिलदार नगर में चन्द्रशेखर जी स्मारक म्यूजियम का निर्माण कार्य एवं जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के अन्तर्गत कर्मनाशा नदी के बायें तट पर चन्द्रशेखर जी अमौरा घाट के निर्माण एवं स्थल के पर्यटन विकास के कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7110/6-1-1(762)/2019-20 दिनांक 19 मार्च 2020 एवं पत्र सं0-100/6-1-1(749)/2016-17 दिनांक 11 मई 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की निम्नांकित 04 योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति शासनादेश सं0-70/2016/1048/41-2016-29 यो0/16 दिनांक-14 जून 2016 द्वारा प्रदान की गई थी :-

क्र0	योजनाओं का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
1	जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के अन्तर्गत दिलदार नगर में चन्द्रशेखर जी स्मारक म्यूजियम का निर्माण कार्य	यू0पी0आर0एन0एन0 लि0	298.44 लाख	149.22 लाख
2	जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के अन्तर्गत दिलदार नगर बाजार में स्थित तालाब का विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	यू0पी0आर0एन0एन0 लि0	108.51 लाख	108.51 लाख
3	जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के अन्तर्गत दिलदार नगर बाजार में अल-दीनदार शम्सी म्यूजियम का निर्माण कार्यएवं स्थल के पर्यटन विकास का कार्य	सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी	66.89 लाख	66.89 लाख
4	जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के अन्तर्गत कर्मनाशा नदी के बायें तट पर चन्द्रशेखर जी अमौरा घाट के निर्माण एवं स्थल के पर्यटन विकास का कार्य	सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी	158.50 लाख	79.25 लाख

3- तदनन्तर शासनादेश सं0-09/2018/1709/41-2017-29 यो0/2016 दिनांक 25-1-2018 द्वारा जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के अन्तर्गत कर्मनाशा नदी के बायें तट पर चन्द्रशेखर जी अमौरा घाट के निर्माण एवं स्थल के पर्यटन विकास के कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0-39.625 लाख अवमुक्त की गई।

4- महानिदेशक पर्यटन द्वारा प्रस्तर-2 पर अंकित तालिका के क्रमांक-1 एवं 4 पर अंकित प्रायोजनाओं के लिये अवमुक्त की गई धनराशियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं संगत अभिलेख उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की मांग के क्रम में प्रायोजनाओं के मूल आगणनों का विभागीय अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक-12-10-2020/27-10-2020 में परीक्षण /मूल्यांकन करने के उपरान्त लागत का मूल्यांकन किया गया ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय अप्रेजल समिति द्वारा प्रायोजनाओं की मूल्यांकित लागत आंकलित करने के अनुक्रम में निम्नांकित विवरणानुसार प्रायोजनाओं की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुये अवशेष कार्यों को कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति आगे प्रस्तर-4(1) से 4(12) पर अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	**योजनाओं का नाम**	**कार्यदायी संस्था**	**शासनादेश दि0-14-6-2016 द्वारा निर्गत मूल प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त तथा तदनन्तर अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण (लाख में)**	**एतद्द्वारा निर्गत संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति (लाख में)**	**अवशेष के सापेक्ष एतद्द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति (लाख में)**
1	जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के अन्तर्गत दिलदार नगर में चन्द्रशेखर जी स्मारक म्यूजियम का निर्माण कार्य	यू0पी0आर0 एन0एन0 लि0	298.44 / 149.22	287.56 (रूपये दो करोड सत्तासी लाख छप्पन हजार मात्र)	अवशेष रू0-138.34 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 57.51 लाख (रूपये सत्तावन लाख इक्यावन हजार मात्र) की स्वीकृति।
2	जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के अन्तर्गत कर्मनाशा नदी के बायें तट पर चन्द्रशेखर जी अमौरा घाट के निर्माण एवं स्थल के पर्यटन विकास का कार्य	सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी	158.50 / 79.25-प्रथम किश्त 39.625-द्वितीय किश्त (शासनादेश दि0-25-1-2018 द्वारा)	157.19 (रूपये एक करोड सत्तावन लाख उन्नीस हजार मात्र)	अवशेष रू0-38.315 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0-31.44 लाख (रूपये इकतीस लाख चौवालिस हजार मात्र)

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-70/2016/1048/41-2016-29 यो0/16 दिनांक-14 जून 2016 एवं शासनादेश सं0-09/2018/1709/41-2017-29 यो0/2016 दिनांक 25-1-2018 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा निश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना हेतु अवमुक्त वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

6- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव

संख्या- 293/2020/1350/41-2020-29(यो0)/2016 तद्दिनाँक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त वाराणसी/ जिलाधिकारी गाजीपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी।
9- प्रबंध निदेशक , यू0पी0आर0एन0एन0 ,लि0 लखनऊ।
10- अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एन0 ,भदोही इकाई भदोही।
11- अधिशासी अभियन्ता सिचाई निर्माण खण्ड वाराणसी।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग !
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in